अनुसन्धान प्रवाह Anusandhan Pravah

A Peer Reviewed, Multidisciplinary, Online Research Journal,

ISSN: 3108-1541

Vol.2, Issue 1, Year 2025, pp 71- 78

URL: *https://journal.sskhannagirlsdc.ac.in/*

सदनलाल सांवलदास खन्ना महिला महाविद्यालय
स्वर्ण जयन्ती वर्ष
2024-2025

सिकुड़ता रेड कॉरीडोर : सरकार, संवाद एवं समाधान

डॉ. गौरव त्रिपाठी* & आकाश पाण्डेय**

*असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय पी जी कॉलेज, मुसाफिरखाना, अमेठी
** शोध छात्र, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

सारांश

यह शोध आलेख भारत में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) की समस्या और वर्ष 2014 के बाद रेड कॉरीडोर के अभूतपूर्व संकुचन का समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि नक्सलवाद केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक वंचना, प्रशासनिक रिक्ति तथा वैचारिक संघर्ष का परिणाम रहा है। 2014 के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई 'सुरक्षा-विकास-विश्वास' पर आधारित एकीकृत, बहु-आयामी रणनीति ने इस दीर्घकालिक समस्या के समाधान में निर्णायक भूमिका निभाई है। आधिकारिक आँकड़ों एवं सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह लेख दर्शाता है कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर मात्र 18 रह गई है तथा हिंसा, सुरक्षा बलों और नागरिकों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सुरक्षा अभियानों के सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना के तीव्र विकास, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतियों, तथा केंद्र-राज्य समन्वय ने नक्सली संगठनात्मक ढाँचे

Article Publication:

Published online on: 30/12/2025

Corresponding Author:

डॉ. गौरव त्रिपाठी

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय पी जी कॉलेज, मुसाफिरखाना, अमेठी

Email: tripathydrgaurav.gdc@gmail.com

©S.S. Khanna Girls Degree College

Scan For Paper

को कमजोर किया है। लेख यह भी रेखांकित करता है कि यद्यपि रेड कॉरीडोर का भौगोलिक एवं वैचारिक प्रभाव अत्यधिक सिमट चुका है, फिर भी शहरी नक्सलवाद, अंतिम दुर्गम क्षेत्रों में सक्रिय कैडर और पुनर्वास की दीर्घकालिक चुनौतियाँ शेष हैं। निष्कर्षतः, यह अध्ययन स्थापित करता है कि आंतरिक सुरक्षा की समस्या का स्थायी समाधान केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि विकास, संवाद और लोकतांत्रिक विश्वास की पुनर्स्थापना से ही संभव है।

कुंजी शब्द - *वामपंथी उग्रवाद, रेड कॉरीडोर, नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा-विकास-विश्वास रणनीति, केंद्र-राज्य समन्वय, नक्सल विरोधी अभियान, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, जनजातीय क्षेत्र*

वामपंथी उग्रवाद, जिसे आमतौर पर नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है, दशकों तक भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा। यह उग्रवाद सामाजिक-आर्थिक असमानता, वन संसाधनों पर नियंत्रण, और जनजातीय आबादी के अलगाव से उत्पन्न हुआ, जिसने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र को रेड कॉरीडोर के रूप में चिह्नित किया। 2014 के बाद से, भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक मौलिक रूप से परिवर्तित और 'एकीकृत, बहु-आयामी और कठोर' रणनीति अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप इस गलियारे के भौगोलिक विस्तार और हिंसा के स्तर दोनों में अभूतपूर्व संकुचन देखने को मिला है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद सिर्फ हत्यारी गतिविधियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विचार है। जब तक समाज में बैठे इसके वैचारिक, कानूनी और वित्तीय समर्थकों को नहीं पहचाना जाएगा, तब तक यह लड़ाई पूरी नहीं होगी।[1]

यह शोध आलेख 2014 से 2025 तक की अवधि में रेड कॉरीडोर के सिकुड़ने का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन आधिकारिक आँकड़ों और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह दर्शाता है कि कैसे नक्सलियों का "पशुपति से तिरुपति" तक का रेड कॉरिडोर अब ध्वस्त हो चुका है। पहले 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो अब घटकर केवल 18 रह गए हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिले 36 से घटकर 6 रह गए हैं।[2] इस सफलता को 'सुरक्षा, विकास और स्थानीय समन्वय' पर आधारित सुदृढ़ नीतियों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के रूप में

देखा गया है। अंत में, यह लेख इस उपलब्धि को बनाए रखने और मार्च 2026 तक देश को पूर्णतः नक्सल-मुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली शेष चुनौतियों और भावी दिशाओं पर विमर्श करता है।

रेड कॉरीडोर शब्द का प्रयोग भारत के उन अंतर-राज्यीय क्षेत्रों के लिए किया जाता था, जहाँ विभिन्न माओवादी और नक्सली समूह अपनी वैचारिक और सैन्य गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसकी उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव में हुई थी, जो धीरे-धीरे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के दुर्गम, वन-बहुल और जनजातीय क्षेत्रों में फैल गया। 2014 से पूर्व, रेड कॉरीडोर अपने चरम पर था। इस दौरान समस्या को केवल एक 'कानून और व्यवस्था' की समस्या मानने या फिर केवल 'विकास की कमी' तक सीमित रखने के कारण एक एकीकृत और प्रभावी रणनीति का अभाव रहा। कई सरकारी रिपोर्टों और सुरक्षा विश्लेषणों ने इस अवधि को 'विकास का ठहराव' और 'प्रशासनिक रिक्ति' का काल बताया है। नक्सली संगठन, विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने एक समानांतर शासन संरचना (जन अदालतें, जन मिलिशिया) स्थापित कर ली थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 2014 में देश के 10 राज्यों में 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे।[3] 2004 से 2014 के बीच की अवधि में नक्सली हिंसा और उससे जुड़ी मृत्यु दर उच्च स्तर पर थी, जिसने सुरक्षा बलों और नागरिकों दोनों को भारी नुकसान पहुँचाया। इन क्षेत्रों में सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएँ, और दूरसंचार कनेक्टिविटी या तो अनुपस्थित थे या नक्सलियों द्वारा नियमित रूप से नष्ट किए जाते थे। यह स्पष्ट हो चुका था कि नक्सलवाद को केवल पुलिस कार्रवाई या बिखरी हुई विकासात्मक योजनाओं से समाप्त नहीं किया जा सकता। एक ऐसी व्यापक रणनीति की आवश्यकता थी जो सुरक्षा की कठोरता, विकास की तीव्र गति और स्थानीय समुदायों में विश्वास की बहाली के तत्वों को एक साथ जोड़े। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इसी त्रि-आयामी दृष्टिकोण को अपनी नीति का मूल आधार बनाया।

2014 के बाद लागू की गई नई और कठोर नीतियों का परिणाम अगले ही दशक में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के भौगोलिक मानचित्रण में तेजी से संकुचन आया। 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो 2025 (जून तक) घटकर मात्र 18 रह गई है। यह लगभग 86% की उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है। इसी प्रकार, सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 36 से घटकर केवल 6 रह गई है, जो लगभग 84% की गिरावट है। हिंसक घटनाओं की तुलना में भी स्पष्ट सुधार दर्ज किया गया है। 2004 से 2014 के बीच कुल 16,463

घटनाएँ हुईं, जबकि 2014 से 2024 के बीच यह संख्या घटकर 7,744 रह गई। यह लगभग 53% की कमी को दर्शाता है। सुरक्षा बलों की मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। 2004-14 के दौरान 1,851 मौतें हुईं, जबकि 2014-24 में यह संख्या घटकर 509 रह गई, जो 73% की कमी है। इसी तरह, नागरिकों की मृत्यु दर भी 4,766 (2004-14) से घटकर 1,495 (2014-24) हो गई है, जो लगभग 70% की कमी को दर्शाती है।[4]

नक्सली हिंसा की घटनाओं को दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2013 में 76 जिलों में फैले 330 से घटकर जून 2025 तक केवल 22 जिलों में 52 रह गई है। यह दर्शाता है कि नक्सलवाद अब केवल कुछ छोटे, दूरस्थ और दुर्गम 'पॉकेट्स' तक ही सिमट गया है, जबकि एक समय यह एक बड़े 'गलियारे' के रूप में फैला हुआ था। झारखंड, ओडिशा और बिहार के अधिकांश क्षेत्र अब नक्सलवाद के गंभीर प्रभाव से लगभग मुक्त हो चुके हैं, और पूरा दबाव अब मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे कुछ सीमित जिलों पर केंद्रित हो गया है।[5]

सुरक्षा बलों की रणनीति में रक्षात्मक रवैये को छोड़कर आक्रामक और निर्णायक प्रभुत्व स्थापित करने पर जोर दिया गया। पिछले छह वर्षों में 361 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए, जिससे सुरक्षा बलों की परिचालन पहुँचमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ये शिविर पहले दुर्गम माने जाने वाले क्षेत्रों जैसे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और बीजापुर में स्थापित किए गए, जिससे नक्सलियों के मुख्य क्षेत्रों को तोड़ा जा सका। नक्सल प्रभावित इलाकों में 576 फोर्टिफाईड पुलिस स्टेशन निर्मित किए गए। ये पुलिस स्टेशन केवल सुरक्षा केंद्र नहीं, बल्कि प्रशासन और विकास गतिविधियों के अन्तः क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। नक्सल विरोधी अभियानों के लिए 68 रात्रिकालीन लैंडिंग हेलीपैड का निर्माण किया गया, जिसने सुरक्षा बलों के रिस्पॉन्स टाइम को कई गुना बेहतर किया और रात के समय भी निर्णायक ऑपरेशन को संभव बनाया।[6] विशेष रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोब्रा (CoBRA - Commando Battalion for Resolute Action) बट्टालियन जैसी विशेष इकाइयों की रणनीतिक तैनाती की गई। 'बुद्धा पहाड़' (झारखंड), 'पारसनाथ' और 'चक्रबंधा' जैसे माओवादियों के लंबे समय से कब्जे वाले गढ़ों को निर्णायक सैन्य अभियानों जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल के माध्यम से मुक्त कराया गया।

माननीय गृह मंत्री ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विकास की कमी के कारण नक्सलवाद पनपा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कारण विकास रुका था। यह मानते हुए कि सामाजिक-आर्थिक वंचना को नक्सलवादी

अपने केडर में रेक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरकार ने विकास को एक सुरक्षा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। लक्ष्य यह था कि विकास की गति इतनी तेज हो कि नक्सली इसे बाधित न कर सकें। रेड कॉरीडोर के सिकुड़ने में सड़कों के निर्माण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मई 2014 से अगस्त 2025 तक, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है, जबकि कुल 17,589 किलोमीटर सड़कों की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इन सड़कों ने दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ा, सुरक्षा बलों की आवाजाही को आसान बनाया और सरकारी योजनाओं को दूर-दराज के गाँवों तक पहुँचाया। नक्सल प्रभावित इलाकों में 5139 से अधिक सेल टावर स्थापित किए गए, जिससे सुदूर गाँवों को इंटरनेट और संचार से जोड़ा गया। इसके अलावा, 30 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 1,007 नई बैंक शाखाएँ, 937 एटीएम और 5,899 डाकघर खोले गए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा और लोगों की नक्सली वसूली पर निर्भरता कम हुई।[7] विशेष केंद्रीय सहायता (SCA: SCA-LWE) योजना के तहत सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और जलापूर्ति जैसी बुनियादी अवसंरचना में अंतर को तेज़ी से भरा गया।

पुरानी बिखरी हुई नीतियों के विपरीत, केंद्र सरकार ने सभी सुरक्षा एजेंसियों (CRPF, BSF, राज्य पुलिस) और संबंधित राज्यों के बीच एक सख्त 'समन्वय' तंत्र स्थापित किया। केंद्र और राज्य सरकारों ने आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियाँ लागू कीं। समर्पित नक्सलियों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों को कृषि भूमि की खरीद पर स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप, 2024-2025 में 1,973 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।[8] छत्तीसगढ़ में बस्तरिया बटालियन (Bastar Battalion) का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय आदिवासी युवाओं को भर्ती किया गया। इससे सुरक्षा अभियानों में स्थानीय ज्ञान का समावेश हुआ और सुरक्षा बलों पर स्थानीय आबादी का विश्वास बढ़ा। झारखंड सरकार की 'सरकार आपके द्वार' जैसी योजनाओं ने सरकारी सेवाओं को सीधे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचाकर नक्सलियों द्वारा चलाई जाने वाली समानांतर 'जन अदालतों' को चुनौती दी और राज्य की वैधता को पुनः स्थापित किया। जनजातीय समुदाय के साथ विश्वास बहाली के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया, जिससे उन्हें लघु वनोपज पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुआ और उनका शोषण रुका।

सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठनों के शीर्ष और मध्य-स्तर के नेतृत्व को निशाना बनाया, जिससे उनका संगठनात्मक ढाँचा कमजोर हुआ। कई जोनल कमेटी सदस्य और स्टेट कमेटी सदस्य मारे गए या गिरफ्तार किए गए। 2025 में अब तक 317 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जो सुरक्षा बलों के आक्रामक रुख को दर्शाता है।[9] केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के लिए धन के स्रोत को पूरी तरह से बाधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जबरन वसूली और अवैध खनन से होने वाली आय को मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत जब्त किया गया। नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई की गई, जिससे उनकी परिचालन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई। विमुद्रीकरण (Demonetisation) को भी नक्सली अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रहार माना गया था। छत्तीसगढ़, ओडिशा, और झारखंड जैसे सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों के बीच एकीकृत कमान की स्थापना की गई, जिसने खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और संयुक्त अभियानों में तेजी लाई। यह समन्वय पिछली सरकारों के दौरान सबसे बड़ी कमजोरी रही थी।

रेड कॉरीडोर के सिकुड़ने की सफलता एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नक्सलवाद की समस्या को पूर्णतः समाप्त करने के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियाँ शेष हैं, जिन्हें मार्च 2026 तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबोधित करना आवश्यक है। अब नक्सलवाद मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के कुछ अत्यंत दुर्गम, घने वन क्षेत्रों तक सीमित है। इन क्षेत्रों में अंतिम नक्सली पॉकेट्स को खत्म करने के लिए लचीली और अत्यधिक बुद्धिमत्ता-आधारित अभियानों की आवश्यकता है। नक्सली संगठन अब ग्रामीण क्षेत्रों से बेदखल होने के बाद अपने शहरी कैडरों को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे वैचारिक समर्थन, प्रचार-प्रसार और कैडर भर्ती के लिए काम कर सकें। इस शहरी नक्सलवाद अथवा अर्बन नक्सलिस्म का सरकार को वैचारिक और कानूनी स्तर पर प्रभावी ढंग से मुकाबला करना होगा। नक्सलवाद की जड़ें हमेशा भूमि विवादों और जनजातीय अधिकारों के हनन में रही हैं। वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि स्थानीय समुदायों को न्याय मिल सके और वे मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके साथ ही, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन से जुड़े मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ निपटाना आवश्यक है। सड़कें, स्कूल और बैंक शाखाएँ स्थापित करना मात्र पहला कदम है। इन अवसंरचनाओं का स्थायी रखरखाव सुनिश्चित करना और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना भी अति आवश्यक है। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के

लिए दीर्घकालिक पुनर्वास और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना एक बड़ी चुनौती है। यदि समर्पित नक्सली फिर से हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं, तो वे फिर से उग्रवाद की ओर लौट सकते हैं।

अंत में यह निष्कर्ष निकलता है की वर्ष 2014 के बाद भारत में रेड कॉरीडोर का सिकुड़ना इच्छाशक्ति, समन्वय और संसाधनों के सही उपयोग की विजय गाथा है। प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर मात्र 18 रह जाना, और हिंसा के स्तर में आई गिरावट—यह सब एक नया प्रतिमान स्थापित करता है। यह सफलता साबित करती है कि आंतरिक सुरक्षा की समस्या को केवल 'गोली' से नहीं, बल्कि 'गोली और विकास' के संतुलित मिश्रण से ही जीता जा सकता है। सरकार की सुरक्षा, विकास एवं विश्वास की रणनीति ने माओवादी विचारधारा को पराजित कर लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं में स्थानीय आबादी के विश्वास को पुनः स्थापित किया है। यद्यपि 31 मार्च 2026 तक पूर्णतः नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, वर्तमान गति और समन्वित प्रयासों को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि भारत जल्द ही अपनी आंतरिक सुरक्षा के इस सबसे लंबे और जटिल अध्याय को समाप्त करने के करीब है।

संदर्भ सूची

1. शाह, अमित.(2023). वामपंथी उग्रवाद-मुक्त भारत पर भाषण. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. प्रेस सूचना ब्यूरो, www.pib.gov.in
2. गृह मंत्रालय. (2024-25).वामपंथी उग्रवाद (LWE) पर स्थिति पत्र. भारत सरकार. (www.mha.gov.in)
3. भारत सरकार. (2015). वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (www.mha.gov.in)
4. इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल: माओवादी हिंसा आँकड़े. SATP, नई दिल्ली, 2004–2024, www.satp.org
5. गृह मंत्रालय. (2025). लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 का उत्तर. भारत सरकार. लोकसभा सचिवालय.

6. केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल(2024). वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध परिचालन उपलब्धियाँ. सीआरपीएफ मुख्यालय, नई दिल्ली (crpf.gov.in).
7. गृह मंत्रालय (2025). वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक पहलें. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार. (www.pib.gov.in)
8. छत्तीसगढ़ सरकार(2024). नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पर नीति. गृह विभाग, रायपुर.
9. गृह मंत्रालय (2025). वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों की मासिक समीक्षा. भारत सरकार, जनवरी–जून (www.mha.gov.in).